

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/खुली बिक्री/2019/191

दिनांक:- 7/6/19

### आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बाडमेर, उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन मण्डल की जैसलमेर आवासीय योजना में सरप्लस अनिस्तारित एमआईजी-ए के 45 फ्लेटों को मण्डल संचालक की 229.21वीं बैठक दिनांक 27.01.16 के उप बिन्दु 3 में लिये गये निर्णय की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	कुल फ्लेट
1	जैसलमेर आवासीय योजना	एम.आई.जी.-ए (जी+2)	XA-05(F/F), XC-06(F/F), XC-20(F/F), XC-31(F/F), XB-07(F/F), XC-08(F/F), XA-08(F/F), XB-20(F/F), XC-29(F/F), XB-08(F/F), XB-18(F/F), XB-17(F/F), XC-07(F/F), XC-32(F/F), XB-31(F/F), XC-11(S/F), XB-22(S/F), XB-11(S/F), XC-12(S/F), XB-21(S/F), XB-23(S/F), XC-35(S/F), XB-10(S/F), XA-10(S/F), XC-24(S/F), XA-11(S/F), XC-22(S/F), XC-34(S/F), XB-12(S/F), XB-36(S/F), XB-34(S/F), XC-27(G/F), XB-15(G/F), XC-01(G/F), XB-01(G/F), XB-27(G/F), XA-02(G/F), XC-26(G/F), XB-03(G/F), XB-04(G/F), XC-28(G/F), XC-13(G/F), XC-14(G/F), XC-02(G/F), XB-16(G/F),	45

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध फ्लेटों का खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में निम्न वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का पैरा संख्या 23/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

4/6/19

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बाडमेर, रा0आ0म0, बाडमेर।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

o/c  
C  
Mr  
4/6/19  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक